भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 66/2013

No.2011/E(LL/HER/7 New Delhi, Dated: 10.07.2013

The General Managers,
All Zonal Railways.

N.W.R, Jaipur

Sub : Principle of averaging –payment of overtime allowance to Track Machine Staff.

On the recommendation of the 'Committee on Machine & Manpower Deployment for Track Machines on Indian Railways', instructions were issued vide Board's letter No. E(LL)98/HER/9 dated 06.07.2000, after obtaining temporary exemption from Ministry of Labour & Employment for three years from the provisions of the Railway Act, 1989, that the staff working on Track Machines be rostered to work for a period of 3 weeks at a stretch followed by continuous rest for a period of one week at the headquarters.

2. NFIR has demanded issuing of guidelines for payment of OTA to track machine staff when deployed for 3 weeks continuously.

3. Board has examined the matter and it has been decided that for 'Track Machine Staff' when deployed for 3 weeks continuously followed by one week rest, the payment of overtime allowance may be regulated by the principle of averaging on four weekly basis, whenever working hours exceed 192 hours and keeping in view the provisions of Board's letter No. E(LL)73HER(MA)/3 dated 11.06.1974.

4. Please acknowledge the receipt.

(Madan Lal)
Director Estt(LL)

Contd...p.2

No.2011/E(LL/HER/7 New Delhi, dated: 10.07.2013

1. FA&CAO, All Indian Railways.
2. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 10 spares).

for Financial Commissioner (Railways)

No.2011/E(LL/HER/7 New Delhi, dated: 10.07.2013

1. The General Secretary, AIRF, NFIR (with 35 spares)
2. The Secretary General, IRPOF, FROA, AIRPFA (with 2 spares)

(Madan Lal)
Director Estt(LL)

Copy to : EDTK(MC),DE(IR),FE –I, Track-III, and E(Rep)II.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.66/2013

सं. 2011/ई(एलएल)/एचईआर/7 **नई दिल्ली, दिनांक 10.07.2013**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

विषय: ट्रैक मशीन कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के संबंध में औसत का सिद्धांत ।

'भारतीय रेलों पर ट्रैक मशीनों के लिए मशीन एवं जन शक्ति नियोजन के संबंध में बनी समिति' की सिफारिश किए जाने पर, रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों से तीन वर्ष के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अस्थायी छूट प्राप्त करने के पश्चात् बोर्ड के दिनांक 6.7.2000 के पत्र सं. ई(एलएल)/98/एचईआर/9 के तहत यह अनुदेश जारी किए गए कि ट्रैक मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए लगातार 3 सप्ताह की ड्यूटी और उसके बाद मुख्यालय में लगातार एक सप्ताह के विश्राम का रोस्टर बनाया जाए।

2. एनएफआईआर ने उन ट्रैक मशीन कर्मचारियों, जब उन्हें लगातार तीन सप्ताह के लिए तैनात किया गया हो, को ओटीए के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

3. बोर्ड ने इस मामले की जांच की है और यह विनिश्चय किया है कि जब कभी कार्य के घंटे 192 घंटों से बढ़ जाए और बोर्ड के दिनांक 11.06.1974 के पत्र सं. ई(एलएल)73एचईआर(एमए)/3 में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 'ट्रैक मशीन कर्मचारियों' को जब लगातार तीन सप्ताह के लिए तैनात किया गया हो और उसके बाद एक सप्ताह का विश्राम दिया गया हो तो समयोपरि भत्ते के भुगतान को चार सप्ताह के आधार पर औसत के सिद्धांत द्वारा विनियमित किया जाए।

4. कृपया पावती दें।

मदन 10.7.13
(मदन लाल)
निदेशक स्थापना (एलएल)

.......2/-

ESTT/ELL/PAYMENT OF OVERTIME TO RLY EMPLOYEES

सं. 2011/ई(एलएल)/एचईआर/7 नई दिल्ली, दिनांक 10.07.2013

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

सं. 2011/ई(एलएल)/एचईआर/7 नई दिल्ली, दिनांक 10 07.2013

1. महासचिव, एआईआरएफ, एनएफआईआर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, इरपोफ, फ्रोआ, एआईआरपीएफए (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(मदन लाल)
निदेशक स्थापना (एलएल)